

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 242/2015/कोटा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, कोटा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राज इन्डो पेट्रो एजेन्सी, कोटा.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 02/02/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर के अपील संख्या 71/वैट/13-14/कोटा में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 14.08.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रत्यर्थी व्यवसायी की अपील स्वीकार की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी का वर्ष 2010-11 का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.12.2012 को पारित किया गया था जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की बहियात के अनुसार दर्शायी गई बिक्री 7,89,35,994/- रुपये के कर योग्य आवर्त पर करारोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर यह तर्क पेश किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बहियात में दर्शायी गई बिक्री के आधार पर जो आदेश पारित किया गया है वो त्रुटि पूर्ण है क्योंकि उनकी शुद्ध कर योग्य विक्रय राशि रुपये 7,23,68,843/- थी एवं रुपये 65,68,111/- का डिस्काउंट ग्राहकों को दिया गया था परन्तु उस राशि को भी शामिल कर करारोपण किया गया है जिसमें कर रुपये 9,19,536/- एवं ब्याज रुपये 1,12,606/- कुल रुपये 10,32,140/- आरोपित किया गया है वह त्रुटि पूर्ण है क्योंकि प्रत्यर्थी ने जो डिस्काउंट बिलों में दिया गया था, उसे गलती से कम किये बिना पूरी विक्रय राशि को लेखा पुस्तकों में दर्शा दिया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा कुल बहियात के आवर्त 7,89,35,994/- रुपये के स्थान पर अपीलार्थी के कथन अनुसार रुपये 7,23,67,843/- का आवर्त स्वीकार कर अन्तर राशि रुपये 65,68,111/- पर किये गये करारोपण को अपास्त कर अपील स्वीकार कर दी, जिससे व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।





लगातार.....2

3. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी का आदेश विधिसम्मत था एवं व्यवसायी द्वारा वास्तविक रूप से की गई बिक्री को ही लेखा पुस्तकों में दर्शाया गया था एवं उसी अनुसार उनके द्वारा ट्रेडिंग अकाउंट में भी बिक्री राशि को दर्शाया गया था। कथन किया कि इस ट्रेडिंग अकाउंट से यह भी स्पष्ट होता है कि व्यवसायी की वास्तविक बिक्री 7.89 करोड़ थी एवं उनके ट्रेडिंग अकाउंट के अनुसार Earlybird Discount प्राप्त होना बताया गया है जो कुल रूपये 34,02,664/- का है एवं अन्य कमीशन 1,69,399/- रूपये भी बताया गया है जो प्रत्यर्थी को प्राप्त हुआ था न कि उनके द्वारा दिया गया डिस्काउंट था। इस तरह वास्तविक विक्रय राशि वही है जो बहियात में दर्शायी गयी थी।
4. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि 'अधिनियम 2003' में विक्रय राशि की परिभाषा जो धारा 2(36) में दी गई है उसके अनुसार केवल वे डिस्काउंट ही कम करना अनुमत किये गये हैं जो विक्रय करते समय ही दिये जाते हैं जबकि अपील के समय जो बिल प्रस्तुत करना बताया गया है उनमें त्रैमासिक विक्रय पर प्रोत्साहन के रूप में डिस्काउंट दिये गये हैं, जो कि अनुमत नहीं है क्योंकि वह विक्रय के बाद दिये जाते हैं जैसा की अपील स्तर पर प्रस्तुत किये बिलों में 'त्रैमास' का उल्लेख किये जाने से भी स्पष्ट होता है।
5. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपील स्तर पर रूपये 65,68,110/- के डिस्काउंट की जो सूची प्रस्तुत की है उसमें स्पष्ट रूप से स्कीम डिस्काउंट, क्वालिटी डिस्काउंट, प्रमोशन डिस्काउंट एवं वैट डिस्काउंट भी लिखा हुआ है ये सारे डिस्काउंट विक्रय के समय दिये जाना संभव ही नहीं है क्योंकि यह सारे डिस्काउंट विक्रय के बाद एक विशेष खरीद की राशि पर ही दिये जा सकते हैं अतः कर निर्धारण अधिकारी का आदेश विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से उचित होने से उसे बहाल करने का कथन किया।
6. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस तामील करवाये हुए हैं अतः अपीलार्थी विभाग की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर आदेश पारित किया जा रहा है।
7. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत ट्रेडिंग अकाउंट एवं अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत डिस्काउंट संबंधित विवरण का अवलोकन किया गया।
8. इस प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जो भी विक्रय की गई थी वे लेखा पुस्तकों में अंकित की हुई थी। लेखा पुस्तकों में सम्पूर्ण विक्रय राशि अंकित होने से उनके द्वारा वैट 10A में भी लेखा पुस्तकों की बिक्री दर्ज की हुई है एवं


उसमें विवरण प्रपत्रों में दी गई बिक्री से अन्तर रूपये 65,68,110/- को भी दर्शाया हुआ था। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों की जांच से यह प्रतीत होता है कि व्यवहारी द्वारा जो डिस्काउण्ट ग्राहकों को दिये गये हैं वे विक्रय के समय के डिस्काउण्ट नहीं हैं क्योंकि पत्रावली पर प्रस्तुत चार्टर्ड अकाउंटेन्ट द्वारा प्रमाणित किया गया ट्रेडिंग अकाउंट जिस पर प्रत्यर्थी व्यवहारी के भी हस्ताक्षर है उसमें कुल विक्रय 7.89 करोड़ ही है एवं इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाना बताया गया है बल्कि स्वयं द्वारा एक डिस्काउंट जिसे Earlybird Discount बताया गया है एवं कमीशन राशि भी बतायी गयी है वे व्यवसायी द्वारा प्राप्त की गई है। यह दोनों राशियां प्रत्यर्थी व्यवसायी की स्वयं की प्राप्तियां है न कि प्रत्यर्थी द्वारा दी जाने वाली डिस्काउण्ट राशियां हैं। इसके साथ ही जो लाभ-हानि खाता प्रस्तुत किया गया है उससे भी इसका मिलान होता है क्योंकि जो राशि ट्रेडिंग अकाउंट में लाभ के रूप में बतायी गयी है वही राशि लाभ-हानि खाते में बतायी गयी है और उसमें शुद्ध लाभ और अधिक बढ़ा हुआ है क्योंकि प्रत्यर्थी को अपने विक्रेताओं से कुछ प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हुई है तथा प्रस्तुत चार्टर्ड अकाउंटेन्ट से प्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट में भी कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाना बताया गया है।


9. हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध उक्त ऑडिट रिपोर्ट के परीक्षण से यह पाया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपनी बहियात में जो विक्रय दर्शायी गयी है वही वास्तविक विक्रय राशि है एवं अपीलीय अधिकारी के समक्ष जो कुछ सेम्पल बिल दिये थे उसमें बिल संख्या 1376 दिनांक 31.03.2011 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि कुल रूपये 24,671/- में रूपये 18,000/- से भी अधिक का डिस्काउंट बताया गया है एवं विक्रय राशि अन्त में रूपये 6,000/- बतायी है इसी तरह अन्य बिलों में भी इसी तरह का स्कीम डिस्काउंट वॉल्यूम डिस्काउंट बताये है इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यह सभी विक्रय के बाद के डिस्काउंट दिये गये है। यह तथ्य इस साक्ष्य से भी प्रमाणित है कि प्रथम अपील के समय जो अन्तर राशि का विवरण दिया गया है वे कोई भी राशि विक्रय के समय नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट के परीक्षण पर यह तथ्य पाया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी ने डिस्काउंट राशि स्वयं ने प्राप्त की है न कि डिस्काउंट स्वयं के द्वारा दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत ट्रेडिंग अकाउंट एवं लाभ हानि खाते का परीक्षण किये बिना ही अवधारित कर दिया है कि यह डिस्काउंट प्रत्यर्थी द्वारा विक्रय के समय दिया गया है।

10. प्रकरण में ट्रेडिंग अकाउंट के अवलोकन से यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि व्यवसायी द्वारा केवल विक्रय राशियों को ही कम नहीं किया है बल्कि अपने खरिद राशि को भी कम किया है जैसा कि अपीलीय पत्रावली पर एनेक्श्चर के रूप में दस्तावेज उपलब्ध है जिसमें अपीलार्थी ने रूपये 7.92 करोड़ कि खरीद बहियात अनुसार बताया है जबकि रिटर्न अनुसार खरीदी 7.45 करोड़ बताया है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वास्तविक बिक्री को अपने विवरण पत्रों में नहीं दर्शाया गया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वार्षिक विवरण प्रपत्र एवं ऑडिट रिपोर्ट की जांच के पश्चात् जो कर निर्धारण किया गया है वह विधिसम्मत है तथा बहाल किये जाने योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण आदेश करने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को अतिरिक्त करारोपण के सम्बन्ध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं वेट अधिनियम की धारा 23/24 अंकित कर आदेश पारित किया गया है। अतः न्यायहित में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे उपरोक्त आदेश में वर्णित समस्त तथ्यों के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान कर एवं बिलों की जांच कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित कर करारोपण की कार्यवाही करें।

11. फलतः राजस्व की अपील स्वीकार कर अपीलीय आदेश को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण उपरोक्तानुसार कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

12. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल.जैन)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष